RTE

राजस्थान सरकार

स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांकः प.9(1) शिक्षा-5/2010पार्ट | जयपुर, दिनांकः 19-07-2013

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषयः–आर.टी.ई. प्रावधानानुसार निजी विद्यालयों मे प्रविष्ट "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय (Unit Cost) सत्र 2013–14 के निर्धारण बाबत।

संदर्भः– शिविरा/प्रारं/आर.टी.ई./सी/यूनिट कॉस्ट/18882/13–14/लूज 8/ दिनांक 28.6.13

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानान्तर्गत राज्य के निजी विद्यालयों मे प्रविष्ट "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों के लिए राज्य सरकार द्वारा पुनर्भरण प्रति बालक व्यय रूपये 11704/– (अक्षरे ग्यारह हजार सात सौ चार रू. मात्र) प्रतिवर्ष किये जाने की निम्न शर्तों के अध्याधीन स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

01. यह यूनिट कोस्ट सत्र 2013–14 में प्रवेश लेने वाले बालकों पर लागू होगी।
02. प्रविष्ठ किये गये बालकों का सत्यापन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने अपने नियंत्राधीन विद्यालयों में कराया जायेगा।
03. सत्यापन कार्य मे प्रवेश प्रकिया की पारदर्शिता एवं बालकों की नियमित उपस्थिति का उचित सत्यापन पश्चात ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
04. इस यूनिट कोस्ट मे निजी विद्यालयों द्वारा बालकों से वसूल किये जा रहे समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित माने जायेगे।
05. इस यूनिट कोस्ट में छात्रों के लिए निर्धारित विद्यालय गणवेश पर होने वाला व्यय सम्मिलित नहीं है।
06. निजी विद्यालय इस अधिनियम के अन्तर्गत 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश लेने वाले बालकों एवं अन्य सीटों पर प्रवेश लेने वाले बालकों के मध्य विद्यालय की सुविधाओं के उपयोग के संबध में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगें।
07. यदि विद्यालय को राज्य सरकार/राजस्थान आवासन मण्डल/विकास प्राधिकरण/नगर निगम/नगर पालिका/ग्राम पंचायतों आदि से भू आवंटन की शर्तों में निःशुल्क शिक्षा दिये जाने की किसी शर्त का उल्लेख है तो उस शर्त की सीमा तक पुनर्भरण देय नहीं होगा।

यह स्वीकृति वित्त विभाग से उनकी आई.डी. संख्या 101303193 दिनांक 18.7.2013 द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

(वीनू गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

कार्यालय, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/आर.टी.ई./सी/युनिट कॉस्ट/18882/13–14/33 | दिनांकः–26/7/13

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5. निदेशक संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
7. वित्तीय सलाहकार, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर।
8. उप निदेशक प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा.......................।
9. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा..................................।

अतिरिक्त निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर